14/2025 सरकार/ रणदीपसिंह

23/01/26 - पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा काज ________ के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5/2/26 को पेश हो।

152
28/1/26

5/2/26 पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) दही विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः **रणदीप सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता व प्रोपराईटर, मैसर्स PIND DA SWAD, NH27 MAIN ROAD झालीपुरा, तातेड कोटा निवासी ग्राम झालीपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा पर 10,000/— रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. 0.969.9.7/2026 Dated 05.02.2026 Rs. 10,000/-

कोषागार
कार्यालय जिला कलेक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज.) सत्यमेव जयते